

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जुलाई 2024—आषाढ़ 17, शक 1946

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र. GAD-4-0002-2023-जीएडी-1-01-(जीएडी)-1204.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत श्री रामनिवास रावत, विधायक को मंत्री नियुक्त किया है.

मध्यप्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नियुक्त मंत्री श्री रामनिवास रावत ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार आज दिनांक 8 जुलाई 2024 को पूर्वान्ह 9.00 बजे पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपना पद ग्रहण किया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र. GAD-4-0002-2023-जीएडी-1-01-(जीएडी)-1205.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. GAD-4-0002-2023-जीएडी-1-01-(जीएडी)-1204, दिनांक 8 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

Bhopal, the 8<sup>th</sup> July 2024

No. GAD-4-0002-2023-GAD-1-01-(GAD)-1204.—The Governor of Madhya Pradesh on the advice of the Chief Minister has been pleased to appoint Shri Ram Niwas Rawat, MLA as Minister under Article 164 of the Constitution on India.

Shri Ram Niwas Rawat, Minister appointed by the Hon'ble Governor of Madhya Pradesh took the oath of Office and Secrecy as required under clause (3) of Article 164 of the Constitution of India and entered upon their offices today on the 8<sup>th</sup> July, 2024 at 9.00 A.M.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VEERA RANA, Chief Secy.